



वर्तमान परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण : एक महत्वपूर्ण समीक्षा

अनुराधा

शोधार्थिनी

विधि संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

सार

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, कैसे शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण में मदद की है और 21 वीं सदी में महिला सशक्तिकरण से भारतीय समाज कैसे बदल रहा है. परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि वैदिक युग में भारतीय समाज में महिला शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महिलाओं की शिक्षा अच्छी थी. इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षमता को बढ़ाने और सुधारने को संदर्भित करता है, महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करना और उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त करना। सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उसकी महिलाएँ शक्तिशाली बनें. इसके अलावा, यह अध्ययन महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय एजेंसियों आदि द्वारा प्रदान किए गए लाभों को दर्शाता है। महिला शिक्षा का कार्याकल्प करने के लिए महिला शिक्षा उपयुक्त है. महिलाएं आत्म-सचेत, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शिक्षा प्राप्त करेंगी. कुल मिलाकर इस अध्ययन से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण द्वारा भारतीय समाज को विकसित किया गया है और 21 वीं सदी में बदल रहा है।

जब कभी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है तो हम पुरुष सशक्तिकरण की बजाए केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ही क्यों बात करते हैं महिलाओं को क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता है और पुरुषों को क्यों नहीं है? सम्पूर्ण विश्व में जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का है। भारत के संबंध में भी यही सत्य है कि आधी आबादी महिलाओं की है। फिर भी समाज के इस बड़े हिस्से को सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? महिलाएं अल्पसंख्यक भी नहीं हैं कि उन्हें किसी प्रकार की विशेष सहायता की आवश्यकता हो। तथ्यों के आधार पर कहा जाए तो यह एक सिद्ध तर्क है कि महिलाएं पुरुषों से हर कार्य में बेहतर हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण की सोच न केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनके दुखदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केंद्रित करती है साथ ही यह पुरुषों को महिलाओं के संबंध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा

करने की आवश्यकता पर जोर देती है। महिला सशक्तिकरण क्या है? साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें।

महिलाओं को समाज में और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे कानून बनाये हैं। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई थी। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। अगर इतने कानूनों का सचमुच पालन होता तो भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाना था लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। आज हालत ये है कि किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर बहुत सारे कानूनों का बहुत कम पालन हो रहा है लेकिन भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाये गये हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिये। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की है।

शब्दकोश: महिला सशक्तिकरण अधिनियम अधिकार आत्मसम्मान, संविधान, दहेज निषेध, घरेलू हिंसा, महिला अधिकार ।

I. परिचय

21 वीं सदी में, दुनिया उत्साहपूर्वक प्रगति कर रही है और दुनिया के समाज और अर्थव्यवस्था के उत्थान में महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। महिला सशक्तिकरण मजबूत करने की कुंजी है। भारत एक विकासशील देश है और इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है क्योंकि यह देश के लिए बहुत खराब है। महिलाएं देश की आबादी का लगभग 50% और परिवार, समाज और देश के बहुसंख्यक वर्ग के बिना, बहुसंख्यक हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब होगा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, सकारात्मक आत्मसम्मान होना, फेसनिडीफिक स्थिति के प्रति विश्वास पैदा करना और विभिन्न-राजनीतिक-राजनीतिक विकास प्रयासों में सक्रिय भागीदारी को उकसाना, किसी भी समाज और देश में सामाजिक परिवर्तन और विकास का एजेंट। शिक्षा पूरी तरह से विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का एक अनिवार्य साधन है। शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के अस्तित्व और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज की समस्या, बेरोजगारी की समस्याओं आदि के उन्मूलन में सहायक है। सामाजिक शांति भी आसानी से स्थापित की जा सकती है। यदि महिलाएं अशिक्षित हैं, तो भविष्य की पीढ़ियां अशिक्षित हैं। इस कारण से ग्रीकवारियर नेपोलियन ने कहा, “ मुझे शिक्षित माताओं को दे दो, मैं तुम्हें एक वीर जाति दूंगा। ” हाल के वर्षों में, महिलाओं के खिलाफ बीमार व्यवहार और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को लागू किया गया है। यह भारत में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा कानूनों की एक सूची है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के अपराधों से महिलाओं के लिए क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ावा देना। महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं। वे जीवन-

स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक कल्याण और स्वतंत्रता हिंसा के हर पहलू को कवर करते हैं, कई अन्य लोगों के बीच. महिलाएं सभी प्रकार के भेदभाव के पूर्ण और समान आनंद की हकदार हैं. महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण प्रदान किए जाते हैं. भारत में महिला सशक्तीकरण देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट ने कहा है "नारी भी मानव है उसे उस रूप में अधिकार मिलना चाहिए..... एक विवेकशील ईश्वर आधी मानव जाति का बुद्धिहीन तो रखेगा नहीं।" 1 1985 नैरोबी में सम्पन्न अन्तरराष्ट्रीय महिला सम्मलेन में महिला सशक्तीकरण को परिभाषित किया गया- "महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।"

भारतीय संविधान प्रस्तावना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांतों में यथा निहित अनुसार सभी लिंगों को समान अधिकार देता है भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। संविधान महिलाओं के संचयी सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक नुकसानों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिये राज्य को अधिकृत भी करता है। यह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करने का मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक पर डालता है।

संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, यह महिलाओं की समस्या के लिए उपाय और समाधान देता है और राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार उपकरणों की भी पुष्टि की है। हमारे कानून में इतने सारे प्रावधान हैं जो एक महिला को मानसिक और शारीरिक यातना से बचाते हैं।

II. संबंधित साहित्य की समीक्षा:

पांडा, डी। (2017) भारत में " महिला सशक्तीकरण पर जाँच: तर्कसंगत और वर्तमान स्थिति। " उन्होंने पाया है कि महिला सशक्तीकरण हमारे देश के लिए आवश्यक तथ्य नहीं है, लेकिन यह एक राष्ट्र के सतत विकास के लिए जरूरी है. तो आइए हम अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अभी से महिलाओं को सशक्त बनाना शुरू करें. महिलाओं के लिए भारत में लोगों की मानसिकता को बदलना आवश्यक है. आदमी को यह महसूस करना चाहिए कि दुनिया समानता और इक्विटी की ओर बढ़ रही है. इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए समृद्धि लाने के साथ महिला सशक्तीकरण. शेटर, आर. म. (2015) अपने लेख में " भारत में महिला सशक्तीकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन " ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो. यह केवल महिलाओं के कुल विकास के दृष्टिकोण के साथ निश्चित सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अपनाकर और उन्हें यह महसूस कराने के लिए संभव हो सकता है कि उनके पास मजबूत मानव होने की क्षमता है. वैश्वीकरण, उदारीकरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक ताकतों ने आबादी के एक बड़े हिस्से को कुछ राहत दी है. हालांकि, अभी भी काफी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत में महिला सशक्तीकरण की काफी कमी है.

खत्री, आर. (2016) अपने लेख में “ भारत में महिला सशक्तीकरण के प्रति शिक्षा की भूमिका ” महिलाओं के सशक्तीकरण पर साक्षरता और शिक्षा के प्रभाव के साथ-साथ सुधार के सुझाव पर केंद्रित है महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकास के लिए जिन परिवर्तनों पर विचार करने की आवश्यकता है.

सुरेश, पी. & शिवकुमार, टी। (2017) ने भारत में “महिला सशक्तीकरण- एक बदलते परिदृश्य ” शीर्षक से अपना लेख प्रकाशित किया उन्होंने देखा कि महिलाओं का सशक्तीकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है, जो समाज में पारंपरिक रूप से वंचित हैं. यह सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ उनकी रक्षा करने की प्रक्रिया है.

अध्ययन की आवश्यकता और महत्व: महिला सशक्तीकरण में समाज और देश में कई चीजों को बदलने की शक्ति है. यदि हम अपने देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले पुरुषों, सरकार, चढ़ाव और महिलाओं के प्रयासों से महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है. भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव और पुरुष वर्चस्व के कारण महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता पैदा हुई. परिवार, समाज और महिलाओं के देश सशक्तीकरण में उज्वल भविष्य होना आवश्यक है. भारत में महिला सशक्तीकरण पर बहुत कम अध्ययन किए गए हैं. 21 वीं सदी में महिला सशक्तीकरण पर कोई शोध नहीं किया गया है. आज महिलाओं का सशक्तीकरण 21 वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है. इसलिए, शोधकर्ता 21 वीं सदी में “ ए स्टडी ऑन वीमेन एम्पावरमेंट शुरू करने का मन बना रहा है।

III. अध्ययन के उद्देश्य:

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- पूर्व-औपनिवेशिक, औपनिवेशिक और आधुनिक भारत में महिला शिक्षा का पता लगाना.
- महिलाओं के सशक्तीकरण के रूपों को जानना.
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा का पता लगाना.
- महिला सशक्तीकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जानना.
- महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जानना.
- यह पता लगाने के लिए कि शिक्षा ने महिला सशक्तीकरण में कैसे मदद की है.
- यह देखने के लिए कि 21 वीं सदी में महिला सशक्तीकरण से भारतीय समाज कैसे बदल रहा है.

IV. महिला सशक्तीकरण क्या है:

महिलाओं के सशक्तीकरण को एक प्रगतिशील और संपन्न राष्ट्र के लिए बुनियादी गुणों में से एक माना जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में: "महिला सशक्तीकरण से अधिक प्रभावी विकास का कोई साधन नहीं है।" भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भी यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि, "महिलाओं के सशक्तीकरण से एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः

एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है"। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं में अपने जीवन और कार्य से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता और उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी आदि सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देना है। महिला सशक्तीकरण के कारण ही महिलाएं आज कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चूंकि वे काम करने की कोशिश करते हुए अपने परिवार के प्रबंधन में संतुलन रखती हैं और अपने परिवार की जरूरतों में योगदान देती हैं, इसलिए किसी भी राष्ट्र की भविष्य की सफलता के लिए महिला सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है। एक परिवार में माँ, बहन या बेटी के मूल्य को हमेशा कम करके आंका जाना चाहिए। महिला सशक्तीकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, यहां तक कि दूरदराज के कस्बों और गांवों में भी महिलाएं अब तेजी से समाज में अपनी आवाज बुलंद और स्पष्ट रूप से उठा रही हैं। महिलाएं अब अपने लिए सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों (काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार आदि) का दावा कर रही हैं। भारत की संसद ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और भेदभाव से बचाने के लिए विभिन्न कानून पारित किए हैं। वे अपने परिवार का प्रबंधन करने के साथ-साथ काम करने और अपने परिवार की जरूरतों में योगदान देने का भी प्रयास करती हैं, किसी भी राष्ट्र की भविष्य की सफलता के लिए महिला सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तीकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, यहां तक कि दूरदराज के कस्बों और गांवों में भी महिलाएं अब तेजी से समाज में अपनी आवाज बुलंद और स्पष्ट रूप से उठा रही हैं। महिलाएं अब अपने लिए सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों (काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार आदि) का दावा कर रही हैं। भारत की संसद ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और भेदभाव से बचाने के लिए विभिन्न कानून पारित किए हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं :

- समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976;
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961;
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम-1956,
- गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम-1971;
- मातृत्व लाभ अधिनियम-1961;
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम-1987;
- बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006;
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम-1994; और
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और) अधिनियम-2013

अभी हाल ही में, दिल्ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के बलात्कार और क्रूर हत्या से जुड़े निर्भया मामले के मद्देनजर, सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2015 पारित किया है। यह अधिनियम पहले से

एक महत्वपूर्ण बदलाव करता है किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत अपराध के लिए सजा देने वाली किशोर उम्र अब 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।

V. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है

सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई। महिलाओं की आवाज को हर तरह से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहारों का लक्ष्य हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सामाजिक न्याय और सतत विकास के सिद्धांतों की कमी के कारण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप की कड़ी आलोचना हुई है। वैश्वीकरण के आलोचकों का जोर इस बात पर है कि राज्य के कल्याणकारी उपायों और नीतिगत पहलों को वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव से समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। एम. आर. बीजू¹ ने विकासशील समाजों में महिलाओं के रोजगार और कामकाजी परिस्थितियों पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच की है। उदारीकरण और निजीकरण की बयानबाजी और सामान्य रूप से कमजोर वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं पर उनके वास्तविक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना है कि असमान दुनिया में महिलाओं ने पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। अध्ययन यह व्यक्त करता है कि एक स्थायी और प्रगतिशील दुनिया सुनिश्चित करने के लिए उनके उत्थान और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से पांच कारण हैं-

- i. महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना।
- ii. महिलाओं को उनके अधिकार और उनको निर्धारित करने की स्वतंत्रता।
- iii. समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार।
- iv. घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का महिलाओं को अधिकार।
- v. सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता।

VI. महिलाओं के अधिकार

संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही मौलिक स्वतंत्रताएं तथा अधिकार प्रदान किए गये हैं। भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति सम्मान का विवेचन किया गया है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेकों वैधानिक उपायों को भी उपबधित किया गया है। विश्वभर में महिलाएं बिना भेदभाव, अन्याय या हिंसा के बिना डरे अपनी प्रगति कर सकें और समाज के उत्थान एवं विश्व शान्ति में अपना पूर्ण योगदान दे सकें, महिलाओं को सम्पूर्ण विश्व में एक सम्मानीय स्थान प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को विश्व महिला वर्ष घोषित किया गया था महिलाओं का संवैधानिक अधिकार एवंकानूनों के प्रति जागरुकता एक समाजाशास्त्रीय अध्ययन 'व्यवहारमेचवदकपदह ।नजीवतरू आकाँक्षा 152 द्य चंम भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी, यह आयोग संवैधानिक संस्था है। जो महिलाओं के अधिकांश के प्रति सजग है, और मुख्य रूप

से लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश सदियों की दासता व उतार चढ़ाव के पश्चात नये गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। इस के साथ-साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बीसीएचएनई हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना बीएचआई की गयी है। महिलाओं के अधिकारों के लिये भारतीय संविधान में निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं-

1. (अनु-14): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार - भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरुष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों का प्राप्त होगा।
2. (अनु-15): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार "राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद भाव नहीं करेगा" भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही इस अनु° के खण्ड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी कि गयी है।
3. (अनु-19): अनु° 19 महिलाओं को स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतन्त्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सकें। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।
4. (अनु° 23-24): अनु° 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान सम्मान के विपरीत मानते हुए उनकी खरीद-फरोख्त, वैश्या-वृत्ति, कराना आदि को दंडनीय अपराध कि श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सन् 1956 में "वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट" भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।
5. (अनु-39): अनु° 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु° 39(द) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। जिससे उन्हें आर्थिक न्याय कि प्राप्ति हो सके।
6. (अनु° - 42): अनु° 42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है।
7. (अनु° - 46): अनु° 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।
8. (अनु° - 51): संविधान के भाग 4 के अनु° 51 (क) तथा (3) में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार कि प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हों।
9. (अनु-243): अनु° 243 (द) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे।
10. (अनु° - 325): अनु° 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में तहला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

VII. भारतीय संविधान का इतिहास

भारत प्राचीन "सिंधु घाटी सभ्यता" का घर है जो 3300 - 1300 ईसा पूर्व (प्रकृति काल 2600 - 1900 ईसा पूर्व) तक जाता है। भारत अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 500 ईस्वी से पहले के समय को व्यापक रूप से प्राचीन भारत के युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। लगभग 30,000 साल पहले के दक्षिण एशिया डेटा में पाए गए सबसे पुराने शारीरिक रूप से आधुनिक मानव अवशेष। जबकि संवैधानिक इतिहास के संबंध में, भारत सम्राट "अशोक महान" के समय में केवल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व (269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व) में वापस जाता है। [12]

2.1. अशोक के आदेश: (324 ईसा पूर्व - 185 ईसा पूर्व)

सम्राट अशोकनौर्य ने संवैधानिक सिद्धांतों की स्थापना की, उन्हें जनता के पढ़ने, जानने और पालन करने के लिए प्रमुख चट्टानों, स्तंभों और छोटी चट्टानों पर उत्कीर्ण किया गया। इसे "अशोक के आदेश" के रूप में भी जाना जाता है।

2.2. ईस्ट इंडिया कंपनी: (1599 ईस्वी - 1765 ईस्वी)

1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन (यूके) से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई। 1765 में, बंगाल में कराधान का अधिकार प्राप्त करने के बाद यह एक प्रशासनिक शक्ति बन गया, जिसने नवास को हराया प्लासी की लड़ाई में बंगाल (1757)। ईस्ट इंडिया कंपनी (1765 ईस्वी - 1858 ईस्वी) ने कुल एकीकृत कब्जा कर लिया कलकत्ता में एक ही केंद्र से पूरे भारत पर नियंत्रण। लेकिन 1857 के विद्रोह के साथ इसका शासन समाप्त हो गया।

[8]

2.3 ब्रिटिश राज: (1858 ईस्वी - 1947 ईस्वी):

ब्रिटिश राज का यह दौर वह समय था जब भारत के संविधान ने आकार लिया था। इस चरण के दौरान, प्रमुख संवैधानिक प्रयोग को निम्नलिखित अधिनियमों और विनियमों में शामिल किया गया था।

1. भारत सरकार अधिनियम, 1858
2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
4. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
5. भारत सरकार अधिनियम, 1919
6. भारत सरकार अधिनियम, 1935
7. 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम

भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश ताज में बदल दिया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद में बड़े बदलाव किए। अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए पांच सदस्य थे। (1874 में सार्वजनिक कार्यों का एक छठा सदस्य जोड़ा गया था)। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में सुधारों के लिए डिमार्क बढ़ाए गए। परिषद में 24 सदस्य शामिल थे, उनमें से केवल पांच भारतीय हैं। ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम को आमतौर पर मॉर्ले - मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 के अधिनियम ने मुस्लिम नेतृत्व की मांग के अनुसार निर्धारित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार के दरवाजे खोल दिए। साइमन कमीशन की सिफारिशों और गोलमेज सम्मेलन पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। ब्रिटिश भारत को दो प्रभुत्वों में विभाजित किया जाना था - भारत और पाकिस्तान। सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त 1947 थी।

अंत में भारत का संविधान, अपने स्वयं के लोगों द्वारा स्वतंत्र भारत में बनाया गया, 26 को अपनाया गया था नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं और आज इसका उपयोग करते हैं।

VII. भारतीय संविधान की संरचना

संविधान में 1 प्रस्तावना, 25 भाग शामिल हैं, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 2 परिशिष्ट और 104 संशोधन शामिल हैं। हालांकि यह प्रकृति में संघीय है और इसमें एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह भी है।

► भारत में महिलाएं: मुद्दे और चुनौतियां

भारत में महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें बलात्कार, दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, अपहरण, अश्लीलता और पोर्नोग्राफी, घरेलू हिंसा और बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है। यौन उत्पीड़न तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने, ब्रश करने, छूने, चुटकी लेने, छेड़छाड़ करने जैसे शारीरिक अंतरंगता के अवांछित कार्य के अधीन करता है, किसी अन्य व्यक्ति से यौन संबंध के लिए सीधे या निहितार्थ के रूप में अवांछित मांग या अनुरोध करता है, किसी व्यक्ति को चित्रों या कार्टून या पिन-अप या कैलेंडर या स्क्रीनसेवर संस्करण कंप्यूटर या किसी भी आपत्तिजनक लिखित सामग्री या अश्लील ई-मेल या किसी अन्य रूप के रूप में कोई यौन स्पष्ट दृश्य सामग्री दिखाता है। यौन प्रकृति का अवांछित आचरण, छेड़छाड़, चुटकुले जो अजीबता या शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं, अपमान, सेक्सिस्ट टिप्पणियां। एसिड हमला हिंसक हमले का एक रूप है जिसे यातना के इरादे से दूसरे के शरीर पर एसिड या संक्षारक पदार्थ फेंकने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। बलात्कार हमारे समाज में एक महिला पर किए जाने वाले सबसे जघन्य अत्याचारों में से एक है। निर्भया कांड के एक साल बाद, जिसमें 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में एक चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ पुरुषों के एक समूह ने बलात्कार किया था। [6] उत्तर प्रदेश के हाथरस में उच्च जाति के पुरुषों के एक समूह द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और यातना दिए जाने के 15 दिन बाद 19 वर्षीय लड़की की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई। वह पांचवीं लड़की और तीसरी दलित लड़की थी जिसकी यूपी में कथित तौर पर बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय अपराध

रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2019 में हर दिन 88 बलात्कार के मामले दर्ज किए। एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट 'क्राइम्स इन इंडिया 2019' के अनुसार, वर्ष में दर्ज किए गए कुल 32,033 बलात्कार के मामलों में से 11 प्रतिशत दलित समुदाय से थे। यह भारत में महिलाओं के खिलाफ सबसे आम अपराध माना जाता है। पोर्नोग्राफी मुद्रित या दृश्य सामग्री है जिसमें यौन उत्तेजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यौन अंगों या गतिविधि का स्पष्ट विवरण या प्रदर्शन होता है या एक जिम्मेदार पाठक के दृष्टिकोण से भद्दा लगता है। घरेलू हिंसा को इस रूप में वर्णित किया जा सकता है जहां रिश्ते में एक वयस्क दूसरे को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करता है। यह हिंसा के माध्यम से एक रिश्ते में भय की स्थापना है जिसमें दुरुपयोग के अन्य रूप शामिल हैं। हिंसा में शारीरिक शोषण, यौन हमला और धमकियां शामिल हो सकती हैं। [16] लॉकडाउन में जीवन के बारे में भारतीय शहरी युवाओं के बीच एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस (सीओवीआईडी -19) लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा से सुरक्षित महसूस किया। लगभग 33 प्रतिशत गैर-द्विआधारी उत्तरदाताओं ने उस समय अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भावनात्मक और शारीरिक नुकसान के कारण अपने घर पर बहुत असुरक्षित महसूस किया।

➤ महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और प्रावधान

भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को सकारात्मक विचारों और उनके अधिकारों के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है, यह भारत में महिलाओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए एक उपकरण भी है, इस तरह से महिलाओं के पक्ष में भेदभाव उनके द्वारा सामना किए जाने वाले संचयी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक नुकसान को बेअसर करने के लिए।

तालिका 1: महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और प्रावधान

क्रम संख्या	लेख	विवरण
1.	अनुच्छेद 14	कानून से पहले समानता
2.	अनुच्छेद 15 (1)	भेदभाव, धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान का निषेध.
3.	अनुच्छेद 15 (3)	महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया गया है.
4.	अनुच्छेद 15 (4)	सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था.
5.	अनुच्छेद 16 (2)	सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति.
6.	अनुच्छेद 19	प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

7.	अनुच्छेद 19 (1)	सूचना का अधिकार
8.	अनुच्छेद 21	जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
9.	अनुच्छेद 21 (ए)	शिक्षा का अधिकार.
10.	अनुच्छेद 23 (1)	मानव तस्करी और जबरन श्रम निषिद्ध है।
11.	अनुच्छेद 39 (ए)	राज्य पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए।
12.	अनुच्छेद 39 (डी)	भारतीय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए राज्य।
13.	अनुच्छेद 39 (ई)	राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए और उन्हें आर्थिक आवश्यकता के कारण उन व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी ताकत के अनुकूल नहीं हैं।
14.	अनुच्छेद 42	राज्य काम और मातृत्व राहत की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करेगा।
15.	अनुच्छेद 51-ए (ई)	भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे।
16.	अनुच्छेद 243-डी (3)	प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई प्रत्येक पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
17.		पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
18.	अनुच्छेद 243-डी (4)	प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई यह है कि प्रत्येक नगर पालिका महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
19.	अनुच्छेद 243-टी (3)	नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित होंगे जैसा कि राज्य विधानमंडल प्रदान करे। [10]

मौलिक अधिकार, अन्य बातों के साथ-साथ कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को रोकते हैं, और रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। समानता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में प्रदान किया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह बिना किसी भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों को समान विशेषाधिकार और अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 19 (1) में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 और 21 (ए) में प्रदान किए गए जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 23 में धर्म का अधिकार. अनुच्छेद 39 (ए), 39 (डी) और 39 (ई) में समान वेतन और समान काम का

प्रावधान है। अनुच्छेद 243-डी (3), 243-डी (4), 243-टी (3) और 243-टी (4) के लिए राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण। [1]

► कानूनी अधिकार

संवैधानिक जनादेश को सामने लाने के लिए, राज्य ने समान अधिकार सुनिश्चित करने, सामाजिक भेदभाव और विभिन्न प्रकार की हिंसा और अत्याचार का मुकाबला करने और विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को सहायता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विधायी उपाय किए हैं। यद्यपि महिलाएं किसी भी अपराध में पीड़ित हो सकती हैं, चाहे वह 'हत्या', 'डकैती', 'धोखाधड़ी' या कोई अन्य अपराध हो, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ निर्देशित अपराधों को 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' के रूप में जाना जाता है। यद्यपि एक महिला समाज में किसी भी अपराध का शिकार हो सकती है और वास्तव में सभी अपराधों को महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, कुछ अपराधों को छोड़कर जो महिलाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। हालांकि कानून द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं जो महिलाओं के लिए हथियार साबित हुए हैं और उन्हें पुरुष वर्चस्व वाले देश में खड़े होने में मदद की है। अब हम कानूनी प्रावधान के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराधों पर चर्चा करेंगे जो अपराधी को दंडित करते हैं।

विभिन्न कानूनों में महिलाओं के लिए कई अधिकार और सुरक्षा उपाय शामिल थे।

तालिका 2. विभिन्न विधानों में महिलाओं के लिए कई अधिकार और सुरक्षा उपाय शामिल थे

क्रम संख्या	अधिनियम	विवरण
1.	भारतीय दंड संहिता (1860) में भारतीय महिलाओं को दहेज से मौत, बलात्कार, अपहरण, कूरता और अन्य अपराधों से बचाने के प्रावधान हैं।	भारतीय दंड संहिता (1860) में भारतीय महिलाओं को दहेज से मौत, बलात्कार, अपहरण, कूरता और अन्य अपराधों से बचाने के प्रावधान हैं।
2.	मुस्लिम का विघटन	मुस्लिम का विघटन
3.	विवाह अधिनियम (1939) एक मुस्लिम पत्नी को उसकी शादी के विघटन का अधिकार देता है।	विवाह अधिनियम (1939) एक मुस्लिम पत्नी को उसकी शादी के विघटन का अधिकार देता है।
4.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव या उनके लिए अलग न्यूनतम मजदूरी की अनुमति नहीं देता है।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव या उनके लिए अलग न्यूनतम मजदूरी की अनुमति नहीं देता है।

5.	खान अधिनियम (1952) और कारखानों अधिनियम (1948) 7 पी.एम. के बीच महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। से 6 ए.एम. खानों और कारखानों में और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रदान करता है।	खान अधिनियम (1952) और कारखानों अधिनियम (1948) 7 पी.एम. के बीच महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। से 6 ए.एम. खानों और कारखानों में और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रदान करता है।
6.	हिंदू विवाह अधिनियम (1955) इसने विवाह और तलाक के संबंध में भारतीय पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रदान किए।	हिंदू विवाह अधिनियम (1955) इसने विवाह और तलाक के संबंध में भारतीय पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रदान किए।
7.	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) पुरुषों के साथ समान रूप से माता-पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) पुरुषों के साथ समान रूप से माता-पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।
8.	अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम (1956) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून। दूसरे शब्दों में, यह वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को एक संगठित साधन के रूप में रोकता है।	अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम (1956) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून। दूसरे शब्दों में, यह वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को एक संगठित साधन के रूप में रोकता है।
9.	दहेज निषेध अधिनियम (1961) महिलाओं से शादी के बाद या उससे पहले या किसी भी समय दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाता है।	दहेज निषेध अधिनियम (1961) महिलाओं से शादी के बाद या उससे पहले या किसी भी समय दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाता है।
10.	मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों के लिए प्रदान करता है।	मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों के लिए प्रदान करता है।
11.	चिकित्सा समाप्ति	चिकित्सा समाप्ति
12.	गर्भावस्था अधिनियम (1971) मानव और चिकित्सा आधार पर पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति।	गर्भावस्था अधिनियम (1971) मानव और चिकित्सा आधार पर पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति।

13.	दंड प्रक्रिया संहिता (1973) में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे किसी व्यक्ति का दायित्व अपनी पत्नी को बनाए रखना, महिला पुलिस द्वारा महिलाओं की गिरफ्तारी.	दंड प्रक्रिया संहिता (1973) में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे किसी व्यक्ति का दायित्व अपनी पत्नी को बनाए रखना, महिला पुलिस द्वारा महिलाओं की गिरफ्तारी.
14.	महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम
15.	(1986) विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है.	(1986) विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है.
16.	मुस्लिम महिलाएं (तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम (1986) उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती हैं जिनके द्वारा तलाक लिया गया है या अपने पति से तलाक प्राप्त किया है.	मुस्लिम महिलाएं (तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम (1986) उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती हैं जिनके द्वारा तलाक लिया गया है या अपने पति से तलाक प्राप्त किया है.
17.	कानूनी सेवा प्राधिकरण	कानूनी सेवा प्राधिकरण
18.	अधिनियम (1987) भारतीय महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है.	अधिनियम (1987) भारतीय महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है.

तालिका 2 में समझाया गया है कि विभिन्न कानूनों में महिलाओं के लिए कई अधिकार और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। पहले अधिनियम में भारतीय महिलाओं को दहेज, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और अन्य अपराधों से बचाने के प्रावधान शामिल हैं। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन में एक मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह के विघटन की मांग करने का अधिकार दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पुरुष और महिला श्रमिकों या उनके लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। खान अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1948 शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम उनकी सुरक्षा और कल्याण प्रदान करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने विवाह और तलाक के संबंध में भारतीय पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को पुरुषों के साथ समान रूप से अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देता है। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून। दूसरे शब्दों में, यह जीवन जीने के एक संगठित साधन के रूप में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 महिलाओं से शादी से पहले या बाद में किसी भी समय दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं

के रोजगार को विनियमित करता है और मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों का प्रावधान करता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवतावाद और चिकित्सा आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की देखभाल करने का दायित्व, महिला पुलिस द्वारा महिलाओं की गिरफ्तारी। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986 विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें अपने पति द्वारा तलाक दिया गया है या तलाक प्राप्त किया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) भारतीय महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है। उसी वर्ष सती आयोग (निवारण) अधिनियम, 1987 सती प्रथा की रोकथाम और महिलाओं पर इसका महिमामंडन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किसी भी प्रकार की शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा।

VIII. निष्कर्ष

भारत के संविधान में कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और यह कठोरता और लचीलेपन का एक संयोजन है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो न्यायसंगत हैं। वे लोगों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। संविधान भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज भारतीय नागरिक का जीवन है। संविधान एक मजबूत केंद्र के साथ एक अर्ध-संघीय (इसका मतलब एक संघीय सेटअप है जहां सरकार के दो स्पष्ट सेट होने के बावजूद, केंद्र और राज्यों को केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाती हैं) का प्रावधान है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। यदि इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। अब एक दिन की महिलाओं को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ सबसे आम अपराध बलात्कार, दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, अपहरण और अपहरण, पति, रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं पर हमला और यौन तस्करी हैं। सरकार ने कई पहल कार्यक्रम शुरू किए हैं। निर्भया घटना के बाद, दिल्ली पुलिस ने महिला अधिकारियों द्वारा संचालित 161 हेल्प-डेस्क स्थापित किए, जिसमें 70 फीसदी महिला अधिकारी हर दिन आठ घंटे से अधिक की शिफ्ट में रिपोर्ट करेंगी, जैसा कि राष्ट्रीय पुलिस कार्य स्थितियों पर 2014 के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अध्ययन से पता चलता है। हालांकि, जो लोग इन हेल्प-डेस्क से निपटते हैं, वे उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 12 अगस्त, 2013 की रिपोर्ट में बताया 2016.In, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वह सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये (\$ 156 मिलियन) निर्भया फंड स्थापित करेगा। देश में महिलाओं की संख्या। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2016 के अपने आदेश में केंद्र से बलात्कार पीड़िताओं को राहत प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा था। भारत ने 2019 में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए और वर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जो 2018 से 7% से अधिक की वृद्धि है, 29 सितंबर, 2020 को जारी नवीनतम

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के तहत इनमें से अधिकांश मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (30.9 प्रतिशत) के तहत दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के अनुसार 'महिलाओं का अपहरण और अपहरण' (17.9 प्रतिशत) है।

प्रत्येक भारतीय महिला के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार समान वेतन का अधिकार (समान पारिश्रमिक अधिनियम), काम पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, गुमनामी का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, मातृत्व संबंधी लाभों का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार (प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक), मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार (कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम), रात में गिरफ्तार नहीं होने का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम)। कानून की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारियों की रक्षा के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। संसदीय प्रावधानों का अर्थ उन कदमों से है जो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए उठाए और इसमें महिलाओं के हितों की रक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों और वैधानिक अधिनियमों को लागू करना शामिल है। इस प्रकार अधिनियम समाज में महिलाओं की प्रगति और सुरक्षा की दिशा में वास्तव में उपयोगी साबित हुए हैं।

संदर्भ

1. बख्शी, पी.एम., और कश्यप, एस.सी. (1982). भारत का संविधान। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।
2. दिव्या। एम (2017)। भारत में महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर एक अध्ययन। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (आईओएसआर-जेएचएसएस) 22.7 (2017): 28-33., वॉल्यूम 22, अंक 7, वृ.13।
3. साहू, ए., और पटनायक, टी. (2015). भारत के संविधान का निर्माण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। ओडिशा की समीक्षा, 7.
4. संजीव कुमार रारह, क्रिमिनोलॉजी और कानून, फोरेंसिक साइंस।
5. सौमेंद्र, डी., और साईबाबू, एन. (2014). भारतीय संविधान: मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का विश्लेषण। भारतीय संविधान: मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का विश्लेषण, 2350-1472।
6. शंभूनाथ बी (2016)। महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर जागरूकता: कलबुर्गी जिले का एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, वॉल्यूम 2; मुद्दा 3; पृष्ठ सं. 12-16. यूनुस, एस, और वर्मा, एस (2015)। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनी प्रावधान। मानविकी और प्रबंधन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 3 (5), 367-370।